

6-6-24 पत्रावली पेश दुर्घा उभयपक्ष के वकील 390/
न्यायालय समयभाव के कारण जिरह
नहीं हो सकी, अतः पत्रावली वास्ते जिरह
(पंकज बाहेती के शपथ-पत्र पर) हेतु दिनांक
18-7-24 को पेश होगा

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)

11-6-24

C.A.
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)

वकील वादी एवं पावर ऑफ अटोर्नी
धारक विशाल बाहेती द्वारा प्रार्थना-पत्र
पत्रावली आज की तारीख पेश करने पर
वास्ते वादीगण को दावा नोटिस
में खारिज किये जाने बाबत पेश करने
पर उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
पत्रावली तलब की गयी

उस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादीगण
जरिये अधिकृत अभिकर्ता उक्त वाद को आगे
चलाना नहीं चाहते हैं एवं वादीगण (जरिये
अधिकृत अभिकर्ता) अपने वाद को Not Proceed
में खारिज कराना चाहते हैं। अधिकृत अभिकर्ता
(विशाल बाहेती) स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान
वकील वादी ने की।

उस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील वादी एवं वादी-
गण की ओर से अधिकृत अभिकर्ता विशाल बाहेती
को सुना गया। वकील वादी व अधिकृत अभिकर्ता
ने प्रकरण में Not Proceed जाहिर किया। अतः वादी
का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल बुमार होकर बरसे
कम होगा

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)

Not Proceed

11/6/2024